(43)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 803–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–3–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, टिमरनी जिला हरदा प्रकरण कमांक 89/अपील/अ–6/2013–14.

अशोक आत्मज ठाकुरलाल गूर्जर
निवासी 437 ए सुखलिया इंदौर .....आवेदक

विरूद्ध

रामचरण आत्मज बिहारीलाल गूर्जर
निवासी ग्राम डोलरया
तहसील रहटगांव जिला हरदा .....अनावेदक

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/9/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, टिमरनी जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–3–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, रहटगांव के आदेश दिनांक 3–6–14 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, टिमरनी जिला हरदा के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 8–8–14 को अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 89/अपील/अ–6/2013–14 दर्ज कर दिनांक 31–3–2015 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 23–5–2017 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि अनावेदक सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनकी ओर से आज

दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण आवेदक की ओर से लिखित तर्क में उठाये गये आधारों एवं अभिलेख के संदर्भ में किया जा रहा है । आवेदक की ओर से लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने में आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र सद्भावी नहीं था, क्योंकि अनावेदक को तहसीलदार के आदेश की जानकारी प्रारंभ से ही रही है, और उसके द्वारा जानबूझकर 30 दिवस में अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। ।

(3) अनावेदक द्वारा दिनांक 26–7–14 को ही तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील पूर्ण रूप से तैयार कर ली गई थी एवं शपथ पत्र को पूर्ण करवाकर नोटराईज्ड करा लिया गया था, परन्तु जानबूझकर दिनांक 5–8–14 को अपील प्रस्तुत की गई है, जो कि स्पष्टतः अवधि बाह्य थी ।

(4) अनावेदक को तहसील न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि दिनांक 11–7–14 को प्राप्त हो गई है, और उसके द्वारा अपील तैयार करवाने के बाद भी दिनांक 5–8–14 को जानबूझ कर विलम्ब से प्रस्तुत की गई है ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17–3–15 एवं 31–3–15 को दो आदेश पारित किया जाना परिलक्षित होता है, जो कि उचित कार्यवाही नहीं है ।

तर्कों के समर्थन में (2013) 3 सुप्रीम कोर्ट केसेज 563 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखत तर्क में उठाये गये आधारों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदक के अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की की जाकर आदेश पारित किया गया है, अतः अनावेदक को तहसीलदार के वादग्रस्त आदेश की जानकारी नहीं होना स्वाभाविक है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जाकर सकारण आदेश पारित करते हुए अनावेदक की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र

स्वीकार कर विलम्ब माफ करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी प्रकरण का गुण–दोष पर अन्तिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का समुचित अवसर उपलब्ध है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, टिमरनी जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–3–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर